01/6/24 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्षगण पाबंद
पर। फैसला किया जाता है पृथक निर्णय शामिल किया
गया। डिक्री जारी हो नियम से दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।

BV
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2019/00288

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 107/2019 GCMS:-2019/00288 दायर दिनांक : 02.08.2019

नोपाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. रामेश्वरी
2. अन्नाराम
3. सुखाराम
4. सुरजाराम
5. सन्तोष
6. लालीकी

पुत्रीयां व पुत्रगण आसाराम पुत्र गुमाना जाति मेघवाल निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ उपतहसील राजियासर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

7. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. उप—पंजीयक, राजियासर

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 01.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषक वादी व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, विचारण तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही पीपासर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 172 में 25.00 बीघा भूमि आसाराम पुत्र गुमाना जाति चमार निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ के नाम बतौर खातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी, जो मूल अंकित काश्तकार आसाराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 113/895 में दर्ज हुई। उक्त जमाबन्दी में खसरा नम्बर 587/167 के स्थान पर 587/172 दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में खसरा नं. 172 था जो नये खसरा नं. 587 के बटा में दर्ज किया जाना था, लेकिन पूर्व में हिन्दी में अंकित 172 नम्बर को 162

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नम्बर मानकर 587/162 दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय भूल है। वादी ने उक्त भूमि में से 12.10 बीघा खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और आसाराम ने दिनांक 27.06.1978 को 12.10 बीघा भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में कार्यालय उप–पंजीयक, सूरतगढ़ में पंजीबद्ध करवा दिया था। वादी ने बैयनामा की चित्रप्रति पटवारी हल्का को इन्तकाल के लिए दे दी थी। पटवारी हल्का ने आगामी पंचायत की बैठक में इन्तकाल स्वीकृत करवाने की बात कही और इसी विश्वास के साथ वादी जैरवाद रकबा पर काबिज होकर काश्त करने लगा। जैरवाद रकबा प्रतिवादीगण के नाम विरासतन दर्ज होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त रकबा का इन्तकाल वादी के नाम से दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये, इसलिए वादी ने जैरवाद भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खसरा नं. 587/162 के स्थान पर 587/172 दर्ज किया जाने व रोही पीपासर के खसरा नं. 587/172 (जो वर्तमान जमाबन्दी में 587/162 दर्ज है) की 3.163 है0 यानि 12.10 बीघा भूमि वादी की जरिये बैयनामा दिनांक 27.06.1978 के द्वारा खरीद की हुई होने से वादी को इस भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर यह भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 को वादी के कब्जा काश्त की 3.163 है0 यानि 12.10 बीघा भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के जवाब नहीं आने के बाद निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया कि जैरवाद भूमि रोही पीपासर के ख.नं. 587/172 के स्थान पर ख.सं. 587/162 गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है ?(वादी)

(2) आया कि वादी द्वारा जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता आसाराम पुत्र गुमानाराम से जरिये बैयनामा उप पंजीयक सूरतगढ़ से दिनांक 27.6.1978 से खरीद कर लिया गया ? (वादी)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3) आया कि वादी जैरवाद भूमि रोही पीपासर के ख.नं. 587 / 172 जो वर्तमान में 587 / 162 है, की 3.163 है0 का वादी बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है व प्रतिवादी नं. 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे ? (वादी)

(4) आया कि जैरवाद भूमि का वादी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

(5) अन्य अनुतोष ?

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य पत्रावली में प्राप्त किये गए। वादी ने साक्ष्य में असल विक्रय–पत्र की जिला पंजीयन अभिलेखागार श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एवं स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये व साथ ही खेत पड़ौसी श्योनारायण के बयान शपथ–पत्र पर करवाए तथा तथ्यों के जानकार धर्माराम के शपथ–पत्र पर बयान करवाए। तमाम बयानों पर जिरह शून्य रही। वादी साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित करवाए गए। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गए।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी ने रोही पीपासर के खसरा नं. 172, जो कि विक्रय के समय अंकित काश्तकार आसाराम पुत्र गुमानाराम के नाम 25.00 बीघा खातेदारी भूमि अंकित थी, में से 12.10 बीघा बारानी भूमि पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.06.1978 के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था व मौका पर आज भी वादी कब्जा शपथ–पत्र एवं पड़ौसी काश्तकारों के बयानों से साबित है। वर्तमान में त्रुटिवश यह भूमि रोही पीपासर के खसरा नं. 172 के स्थान पर नये खसरा नं. 587 / 162 में दर्ज कर दी गई, जबकि पुराना खसरा नं. 172 है। अतः नया खसरा नं. 162 के स्थान पर 172 दर्ज होना मानकर नया खसरा नं. 587 / 172 अंकन कर वादी को इस खसरा में 12.10 बीघा अर्थात 3.163 है0 बारानी भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित बताया व आसाराम की मृत्यु होने से वारिसों के नाम की अंकित 6.325 है0 भूमि में से वादी को 3.163 है0 बारानी भूमि का खातेदार घोषित कर शेष 3.162 है0 भूमि का प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 को खातेदार अंकित करने के आदेश वाद स्वीकृत कर पारित करने के तर्क प्रस्तुत किये। अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान व न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2009 (1) पेज सं. 5, आर. आर.टी. 2014 (1) पेज सं. 97–101, आर.आर.डी. 1979 पेज सं. 1 (Larger

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Bench), आर.आर.सी. 1999 पेज सं. 291, आर.आर.डी. 1997 पेज सं. 237, आर.आर.डी. 1996 पेज सं. 587, डब्ल्यू.एल.एन. 1989 (2) Rev. पेज सं. 170 व आर.बी.जे. 2002 पेज सं. 428 प्रस्तुत किये तथा तनकीवार कथन वादी पुष्ट बताते हुए वाद स्वीकार कर अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

उपस्थित उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का पठन व मनन किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया कि जैरवाद भूमि रोही पीपासर के ख.नं. 587/172 के स्थान पर ख.सं. 587/162 गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है ? (वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी ने स्वयं के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं, किन्तु वादी ने वाद–पत्र के साथ मात्र वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की है। पूर्व की जमाबन्दी अथवा अन्य राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें रोही पीपासर के खसरा नं. 172 में विक्रयकर्ता आसाराम के नाम 25.00 बीघा बारानी रकबा दर्ज रहा हो। साथ ही मिलान खसरा 172 अथवा 162 प्रस्तुत नहीं हुआ जिसमें 172 के आगे खसरा नम्बर क्या बने, स्पष्ट नहीं। मात्र अनुमान एवं शपथ–पत्र के आधार पर ना तो यह माना जा सकता है कि रोही पीपासर के खसरा नं. 172 आसाराम के नाम दर्ज था अथवा खसरा नं. 172 का खसरा नं. 587/162 या 587/172 बना है। दस्तावेजी रिकॉर्ड के अभाव में वादी यह तनकी सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया कि वादी द्वारा जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता आसाराम पुत्र गुमानाराम से जरिये बैयनामा उप पंजीयक सूरतगढ़ से दिनांक 27.6.1978 से खरीद कर लिया गया ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए बैयनामा की सत्यप्रति प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवाये हैं। स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान भी प्रस्तुत किये हैं। वादी रोही पीपासर के खसरा नं. 172 में आसाराम के नाम अंकित भूमि में से 12.10 बीघा भूमि बैयनामा के आधार पर खरीददार है। यह तथ्य सन्देह से परे सिद्ध होता

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है। तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है। न्याय निर्णय भी वादी द्वारा इसी बिन्दु पर प्रस्तुत है, जो पूर्ण प्रभाव रखते हैं।

तनकी नं. (3) – <u>आया कि वादी जैरवाद भूमि रोही पीपासर के ख.नं. 587/172 जो वर्तमान में 587/162 है, की 3.163 है0 का वादी बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है व प्रतिवादी नं. 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा ना तो पूर्व की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई व ना ही मिलान खसरा अथवा क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया। वर्तमान जमाबन्दी व बैयनामा में अंकन में भिन्नता है। मात्र शपथ–पत्र से इस तनकी को सन्देह से परे बहक वादी सिद्ध नहीं माना जा सकता। तनकी नं. 3 दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध नहीं होने से विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी नं. (4) – <u>आया कि जैरवाद भूमि का वादी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी रोही पीपासर के खसरा नं. 172 में 12.10 बीघा भूमि का खरीददार है। इससे भिन्न खसरा के अंकन पर निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 से 6, वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने मात्र शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन पर जिरह अंकित नहीं है। तनकी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होती, इसलिए तनकी नं. 4 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती ळें

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1, 3 व 4 विरुद्ध वादी निर्णय होने से वादी मात्र रोही पीपासर के खसरा नं. 172 में 12.10 बीघा का क्रेता होने से मात्र उक्त खसरा का ही खातेदार घोषित होने का पात्र बनता है, उक्त खसरे से भिन्न रकबा का खातेदार घोषित होने का पात्र नहीं बनता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 01.06.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

नोपाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 67 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

1. **रामेश्वरी**
2. **अन्नाराम**
3. **सुखाराम**
4. **सुरजाराम**
5. **सन्तोष**
6. **लालीकी**

} **पुत्रीयां व पुत्रगण आसाराम पुत्र गुमाना जाति मेघवाल निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ उपतहसील राजियासर जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

7. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
8. **उप–पंजीयक, राजियासर**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. **107** वर्ष **2019** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.6..2026 को जारी की गई।

BV

(भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़